

प्राचार्य का कार्यालय:श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे सेवानिवृत्त कर्मियों का जिनका पुनः वेतन पुनरीक्षण संशोधित हुआ है। तत्पश्चात वेतनादि की अन्तर राशि भुगतान किया जाना है। उक्त के आलोक में HRMS Portal पर अधिकांश लोगों का Payee ID De-activate है। जिसको Activate करने हेतु सभी संबंधित कर्मियों का स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना स्तर से किया जाना है। जिसके लिए HRMS द्वारा On Boarding Annexure 2A प्रपत्र निर्गत है।

अतः उक्त के आलोक में इस संस्थान से सेवानिवृत्त कर्मियों को जिनको वेतनादि की अंतर राशि का भुगतान किया जाना है को निदेश दिया जाता है कि वे अपना-अपना On Boarding Annexure 2A प्रपत्र में सभी संबंधित सूचना अंकित करते हुए निम्न साक्ष्य के साथ अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र निर्गत की तिथि से 15 पन्द्रह दिनों के अन्तर उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि विहित प्रपत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आपके Payee ID Activate करने हेतु संकलित कर भेजी जाय। विहित पत्र अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर लें।

1. पेंशन प्रपत्र
2. आधार नम्बर
3. पैन कार्ड
4. बैंक खाता संख्या का पासबुक की छाया प्रति

ह0/-

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 234/26

दिनांक:- 30/03/26

प्रतिलिपि:- सभी सेवानिवृत्त कर्मियों, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सूचना पट पर जानकारी हेतु चिपकाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



30/3/26

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर

